न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 89 / 17

1 घनश्याम आत्मज गोपाल, जाति गुर्जर, आयु 47 वर्ष, निवासी ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल अजय आहुजा नगर, कोटा
2 सीताराम आत्मज गोपाल, जाति गुर्जर, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1 राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2 नगर विकास न्यास, कोटा जरिये अध्यक्ष / सचिव

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक वादीगण

दिनांक : 05.08.2019

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादीगण द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 16 की 36 बीघा भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में से 8 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता गोपाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था। बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर कायम किये गये जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है।
   - उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर में से 0.49 हैक्टर भूमि पर वादी नं. 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा जिसमें वादी नं. 1 ने तार बाडा कर रखा है एवं 0.79 हैक्टर भूमि पर वादी नं. 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें वादी नं. 1 ने तार बाडा कर रखा है एवं बोरिंग भी कर रखी है तथा वादीगण का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से लगातार बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त भूमि को काफी मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादीगण अपने परिवार का पालना पोषण करते चले आ रहे है।
   - उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक काबिल काश्त बंजड दर्ज है। उपरोक्त भूमि को वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादीगण के खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है, जिसमें वादीगण जुर्माने की राशि जमा करते चले आ रहे है।
   - प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा सिवायचक भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि पटवारी हल्का द्वारा खसरा पारेवर्तन निर्धारण तथा गैरमुस्कील काश्त

Ghanshyam Sarkar

Atul Prakash
05/08/19

Scanned by CamScanner

की पी14 की नकल में वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर काश्त किये जाने का इन्द्राज है।

- वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा 50 वर्षो से लगातार चले आने के कारण व धारा 91 ले0रे0ए0 की कार्यवाही के नोटिस जारी किये जाने एवं पी–14 में वादीगण की काश्त का इन्द्राज होने के बावजूद भी वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से निवेदन किया कि उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दे तो उन्होने खातेदारी में दर्ज करने से इन्कार करते हुये बेदखल करने व उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 2 को आवंटन करने की धमकी देते हुये प्रतिवादी नं. 2 के खाते दर्ज कर दी।
- वादीगण पिछले 50 वर्षो ससे उक्त खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर में से 0.49 हैक्टर पर वादी नं. 1 तथा 0.79 हैक्टर पर वादी नं. 2 का कब्जा काश्त चले आने के कारण वादीगण को उपरोक्त भूमि को अपने नाम आवंटन व नियमन कराने का निवेदन किया तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया तथा वादी को आवंटन व नियमन करने से इन्कार कर दिया जबकि उक्त भूमि में से अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन व नियमन की गई है। उसके आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि आवंटन व नियमन कराने के अधिकारी है व खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।
- आज भी उपरोक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि आज भी सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। यदि प्रतिवादीगण व उसके प्रतिनिधि ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तथा उक्त अवैध कृत्य से प्रतिपक्षीगण को नहीं रोका गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।
- उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषिणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है, जिस हेतु यह वाद पेश है।
- वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पर वादीगण का काफी लम्बे समय से कब्जा होने के बावजूद भी उक्त भूमि को प्रतिवादी नं. 2 के खाते से हटाकर वादीगण के खाते दर्ज न करने व नियमन न करने व दिनांक 05.05.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।
- प्रतिवादी नं. 1 भूमि की लैण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियक प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।
- वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिये धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है, कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में स्थित है और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि
- ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर में

Ghanshyam Sarkar

Atulprakash
05/08/19

Scanned by CamScanner

से 0.49 हैक्टर वादी नं. 1 को व 0.79 हैक्टर भूमि वादी नं. 2 को कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। विलकप में उक्त भूमि वादीगण को नियमन व आवंटन किये जाने की आज्ञा व डिक्री जारी की जावे एवं राजस्व रिकार्ड से ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के सिवायचक खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे व प्रतिवादी नं. 1 को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे तथा एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि वादी को उपरोक्त ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे और न वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे और न वादीगण को काश्त करने से रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे।

2. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार की (जर्ये तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^{1}(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप, प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

3. वादी की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी पर वादीगण के गत 50 वर्षो के कब्जे के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी की खातेदारी दी जाकर उसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर अपने 50 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

05/08/19

Scanned by CamScanner

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05 अगस्त, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Atulprakash
05/08/19

(अतुल प्रकाश) **I.A.S.** (P)
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

1 घनश्याम आत्मज गोपाल, जाति गुर्जर, आयु 47 वर्ष, निवासी ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल अजय आहुजा नगर, कोटा
2 सीताराम आत्मज गोपाल, जाति गुर्जर, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1 राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2 नगर विकास न्यास, कोटा जरिये अध्यक्ष/सचिव

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 89 / 17
निर्णय दिनांक : 05-08-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रघुवीर यादव की उपस्थिति में आज तारीख 05–08–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Atulprakash 05/08/19
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner